कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उन्नाव।

पत्रांकःके0जी0बी0वी0 / नवीन चयन / ५१५५-५६ /2023–24 दिनांकः–31.05.23

विज्ञप्ति

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांकः के0जी0बी0वी0/11308/2022–23 दिनांक 14.02.2023 एवं शासनादेश संख्या– बेसिक शिक्षा अनुभाग–5/2805/68–5–2020 लखनऊ दिनांक 01.02.2023 तथा शासनादेश संख्या– 1553/68–5–2020 बेसिक शिक्षा अनुभाग–5 दिनांक 11.12.2020 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदया के अनुमोदनोपरान्त जनपद उन्नाव में संचालित 13 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में नियत मानदेय एवं संविदा के आधार पर शैक्षिक सत्र 2023–24 के लिए शैक्षिक/शिक्षणेत्तर कार्मिकों के नवीन चयन हेतु केवल महिला अर्ह अभ्यार्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र पंजीकृत डाक द्वारा कार्यालय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा भवन निकट जिलाधिकारी कार्यालय जनपद उन्नाव पिन कोड– 209801 में निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 15 जून, 2023 की सायं 5.00 बजे तक निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। पंजीकृत डाक के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

क्रम सं0	पद का नाम	विषय	आयु सीमा (01 अप्रैल 2023 को)	पदो की सं0	आरक्षण की स्थिति	शैक्षिक योग्यता
1	पूर्णकालिक शिक्षिका (केवल महिला अभ्यर्थी)	गणित	25 वर्ष से 45 वर्ष तक	11	06–अनारक्षित 01–अनुसूचित जाति 03–अन्य पिछडा वर्ग 01–EWS	प्रशिक्षित स्नातक, बी0एस0सी0 (भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित) तथा उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0 परीक्षा उत्तीर्ण। प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त बी0एड0 तथा उसके समकक्ष एल0टी0 इत्यादि प्रशिक्षण सम्मिलित किया जायेगा।
2	पूर्णकालिक शिक्षिका (केवल महिला अभ्यर्थी)	विज्ञान		01	01–अनारक्षित	प्रशिक्षित स्नातक, बी0एस0सी0 (वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान) तथा उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0 परीक्षा उत्तीर्ण। प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त बी0एड0 तथा उसके समकक्ष एल0टी0 इत्यादि प्रशिक्षण सम्मिलित किया जायेगा।
3	पूर्णकालिक शिक्षिका (केवल महिला अभ्यर्थी)	अंग्रेजी		03	03–अनारक्षित	प्रशिक्षित स्नातक, अंग्रेजी विषय के साथ स्नातक की उपाधि तथा उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0 परीक्षा उत्तीर्ण। प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त बी0एड0 तथा उसके समकक्ष एल0टी0 इत्यादि प्रशिक्षण सम्मिलित किया जायेगा।
4	पूर्णकालिक शिक्षिका (केवल महिला अभ्यर्थी)	हिन्दी/संस्कृत		01	01–अनुसूचित जाति	प्रशिक्षित स्नातक, हिन्दी तथा संस्कृत विषय के साथ स्नातक की उपाधि तथा उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0 परीक्षा उत्तीर्ण। प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त बी0एड0 तथा उसके समकक्ष एल0टी0 इत्यादि प्रशिक्षण सम्मिलित किया जायेगा।
5	पूर्णकालिक शिक्षिका (केवल	सामाजिक विषय		04	04–अनारक्षित	प्रशिक्षित स्नातक, (इतिहास, भूगोल एवं नागरिक शास्त्र विषय में से किसी एक विषय के साथ स्नातक की उपाधि) तथा उच्च

	महिला अभ्यर्थी)					प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0 परीक्षा उत्तीर्ण। प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त बी0एड0 तथा उसके समकक्ष एल0टी0 इत्यादि प्रशिक्षण सम्मिलित किया जायेगा।
6	अंशकालिक शिक्षिका (केवल महिला अभ्यर्थी)	शारीरिक शिक्षा	25 वर्ष से 45 वर्ष तक	01	01–अनारक्षित	बी0पी0एड / सी0पी0एड / डी0पी0एड0 आदि में उपाधियां शारीरिक शिक्षा के अध्यापन के लिए मान्य होगी।
7	अंशकालिक शिक्षिका (केवल महिला अभ्यर्थी)	कम्प्यूटर		04	03–अनारक्षित 01–अनुसूचित जाति	स्नातक सहित प्रशिक्षण उपाधि तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर टी0ई0टी0 परीक्षा उत्तीर्ण, प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त बी0एड0 तथा उसके समकक्ष एल0टी0 इत्यादि प्रशिक्षण सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त कम्प्यूटर शिक्षण हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 / बी0सी0ए0 / बी0एस0सी0 कम्प्यूटर साइंस अथवा स्नातक सहित डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 या समकक्ष संस्था से ओ लेवल / ए लेवल डिप्लोमा आदि शैक्षिक योग्यता भी वांछित होगी
8	अंश कालिक शिक्षिका (केवल महिला अभ्यर्थी)	कला क्राफ्ट एवं संगीत / गृह शिल्प		01	01–अन्य पिछड़ा वर्ग	स्नातक की उपाधि, सहित प्रशिक्षण उपाधि (कला / काफ्ट / संगीत विषय के साथ स्नातक उपाधि) तथा उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0 परीक्षा उत्तीर्ण। प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त बी0एड0 तथा उसके समकक्ष एल0टी0 इत्यादि प्रशिक्षण सम्मिलित किया जायेगा।
9	लेखाकार (केवल महिला अभ्यर्थी)			01	01–अन्य पिछड़ा वर्ग	स्नातक वाणिज्य(बी0कॉम), एम0एस0 ऑफिस पर कार्य का ज्ञान अनिवार्य होगा। डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 या समकक्ष संस्था से ओ लेवल कम्प्यूटर शिक्षा में डिप्लोमा की दशा में अभ्यर्थी को चयन में वरीयता दी जायेगी।
10	मुख्य रसोइया पूर्णकालिक (केवल महिला अभ्यर्थी)			01	01–अनारक्षित	कक्षा–8 उत्तीर्ण शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रसित न हो।
11	सहायक रसोइया पूर्णकालिक (केवल महिला अभ्यर्थी)			02	02–अनारक्षित	कक्षा–8 उत्तीर्ण शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रसित न हो।
12	चपरासी पूर्णकालिक (केवल महिला अभ्यर्थी)			02	02–अनारक्षित	कक्षा–8 उत्तीर्ण शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रसित न हो।
13	चौकीदार पूर्णकालिक (केवल महिला अभ्यर्थी)			01	01–अनारक्षित	कक्षा–8 उत्तीर्ण शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रसित न हो।

सामान्य निर्देश–

1. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर ही स्वीकार्य होगा। किसी भी दशा में अन्य प्रारूप में प्रेषित आवेदन पत्र मान्य नहीं होगा।
2. कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में लम्बित रिक्त पदों पर संविदा पर नियुक्ति की कार्यवाही मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका सं0 13553/2022 स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाम सरोज मौर्या व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश के अधीन होगी।
3. पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका, लेखाकार, मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, चपरासी व चौकीदार के पद पर महिला अभ्यार्थियों का ही चयन किया जायेगा।
4. पूर्णकालिक शिक्षिका/अंशकालिक शिक्षिका तथा लेखाकार के पदों पर चयन मेरिट के आधार पर किया जायेगा। अभ्यर्थी के चयन हेतु भारांक के अंकों का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जायेगा–

क्रम सं0	परीक्षा/उपाधि का नाम	गुणवत्ता अंक
01	हाईस्कूल	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत x10/100
02	इण्टरमीडियट	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत x 10/100
03	स्नातक उपाधि	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत x 20/100
04	प्रशिक्षण योग्यता	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत x 30/100
05	भारांक (शैक्षिक सत्र 2020–21 में संविदा से वंचित) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षक/शिक्षिका के रूप में कार्यरत अनुभव।	प्रत्येक पूर्ण अध्यापन वर्ष के लिए 2 अंक/अधिकतम 30 अंक तक जो भी कम हो। (केवल 2020–21 में नवीन संविदा से वंचित शिक्षिकाओं के लिए)

नोट–

क– यदि दो या अधिक अभ्यार्थियों के गुणवत्ता अंक समान हो तो ऐसे अभ्यर्थी का नाम, जो आयु में ज्येष्ठ हो, सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा।

ख– यदि दो या अधिक अभ्यार्थियों के गुणवत्ता अंक और आयु समान हो तो ऐसे अभ्यर्थी का नाम, अंग्रेजी वर्णमाला कम क अनुसार सूची में रखा जायेगा।

5. के0जी0बी0वी0 के ऐसे शिक्षिका जो शैक्षिक सत्र 2022–21 मे नवीन संविदा से वंचित है उन्हे आवेदन करने पर चयन हेतु शैक्षिक अर्हता में शासनादेश सं0 के0जी0बी0वी0/3–2/1916/2013–14 दिनांक 29.7.2013 के पूर्व कार्यरत शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता नही होगीं।
6. मुख्य रसोइया एवं सहायक रसोइया को पद पूर्ण कालिक होगा। इनके लिए महिला होना और विद्यालय में निवास करना अनिवार्य है। इनका चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा। इनका साक्षात्कार 50 अंकों का होगा, जिसमें शारीरिक क्षमता हेतु 20 अंक, पाक विद्या के ज्ञान हेतु 20 अंक तथा अनुभव हेतु 10 अंक निर्धारित होगें।
7. चपरासी व चौकीदार का पद पूर्ण कालिक होगा। इनके साक्षात्कार के लिए 50 अंक निर्धारित होगे। जिसमें शारीरिक क्षमता के 25 अंक तथा सामान्य ज्ञान के लिए 25 अंक होंगे।
8. चयन समिति द्वारा प्रत्येक रिक्त पद के सापेक्ष 05 अभ्यार्थियों की प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी। जिसे आवश्यकतानुसार प्रयोग किया जा सके। शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पदों हेतु प्रतीक्षा सूची जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदन प्रदान करने की तिथि से एक वर्ष तक मान्य होगी।
9. उक्त समिति द्वारा कस्तूरबा गॉधी आवासीय बालिका विद्यालयों में चयनित अभ्यार्थियों की पृथक–पृथक श्रेष्ठता सूची तैयार की जायेगी।
10. कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालयों में विषयवार रिक्त पदों की सूची नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी, जिसके सापेक्ष समस्त चयनित अभ्यर्थियों को विकल्प चयन कर अवसर प्रदान किया जायेगा।
11. सर्वप्रथम विकलांग महिला अभ्यर्थियों को उनके श्रेष्ठता कम के अनुसार काउन्सलिंग कराने हेतु चयन समिति के सम्मुख विद्यालय चयन का विकल्प प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जायेगा। चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों के सम्मुख नोटिस बोर्ड पर चस्पा विद्यालय की सूची के समरूप सूची के रखी जायेगी। उक्त सूची में से अभ्यर्थी एक रिक्त विद्यालय के सम्मुख अपना नाम विषय एवं हस्ताक्षर अंकित करेगा। उक्त प्रकिया अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण की जायेगी।
12. उक्त प्रकिया से काउन्सलिंग के माध्यम से प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी से विकल्प प्राप्त किये जायेगें। मेरिट के आधार विकल्प नहीं देने की स्थिति में समिति द्वारा उक्त अभ्यर्थी का उपलब्ध विद्यालय में पदस्थापन की कार्यवाही की जायेगीं।
13. सभी पदों पर मानदेय राज्य परियोजना कार्यालय के समय–समय पर दिये गये निर्देशों के अनुसार देय होगा।
14. आवेदन पत्र पर आवेदित पद का नाम, वर्ग, विषय के साथ लिफाफे के ऊपर स्पष्ट मोटे अक्षरों में "कस्तूरबा गॉधी आवासीय बालिका विद्यालय हेतु आवेदन पत्र" अंकित होना आवश्यक है।

15. एक लिफाफे में केवल एक आवेदन ही मान्य होगा एक से अधिक आवेदन पत्र होने की दशा में सभी आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेगें।
16. आवेदन पत्र के साथ अंक–पत्रों, प्रमाण–पत्रों (शैक्षिक एवं प्रशिक्षण) चरित्र प्रमाण–पत्र जन्मतिथि प्रमाण–पत्र एवं जाति प्रमाण–पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त हो, की स्व–प्रमाणित प्रतियां संलग्न किये जाएं। साक्षात्कार/काउन्सलिंग के समय समस्त उपरोक्त से सम्बन्धित अभिलेख मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
17. आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पत्राचार पिनकोड एवं मोबाइल नम्बर सहित पता लिखे दो लिफाफे जिसमें प्रत्येक पर रू0 40.00 का डाक टिकट लगा हो संलग्न करना अनिवार्य है।
18. राज्य सरकार के निर्धारित प्रावधानों के अर्न्तगत आरक्षण देय होगा।
19. आयु की गणना 01 अप्रैल 2023 से की जायेगी।
20. किसी सेवा से बर्खास्त, नैतिक/चारित्रिक अधमता के अपराध के लिए दोषसिद्ध एवं दिवालिया व्यक्ति चयन के लिये अर्ह नहीं होंगे। यदि चयनोपरान्त उक्त तथ्य प्रकाश में आता है तो बिना किसी नोटिस के संविदा समाप्ति कर दी जायेगी।
21. अस्पष्ट, अपूर्ण एवं हस्ताक्षर न किये गये आवेदन–पत्रों को निरस्त कर दिया जायेगा।
22. अभ्यर्थियों को साक्षात्कार/काउन्सलिंग के लिए आने पर कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
23. पूर्णकालिक शिक्षिका, मुख्य रसोईया, एवं सहायक रसोईया, चौकीदार पद के पर नियुक्ति के उपरान्त विद्यालय में रात्रि निवास करना अनिवार्य होगा।
24. के0जी0बी0वी0 के ऐसी शिक्षकाए जो शैक्षिक सत्र 2020–21 में नवीन संविदा से वंचित हो गयी हैं उन्हें सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही नवीन चयन में आवेदन करने पर के0जी0बी0वी0 में की गयी सेवा अवधि के प्रत्येक सम्पूर्ण शैक्षिक वर्ष के लिये 2 प्रतिशत अतिरिक्त भारांक दिया जायेगा, किन्तु अधिकतम भारांक 30 प्रतिशत से अधिक नहीं दिया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख हो कि उसे के0जी0बी0वी0 की नवीन संविदा से सत्र 2020–21 में शासनादेश के कम में वंचित कर दिया गया है।
25. उक्त पद पर नवीन संविदा शैक्षिक सत्र 2023–24 के लिये होगी। कार्य एवं व्यवहार सन्तोषजनक पाये जाने पर संविदा अवधि अगले शैक्षिक सत्र के लिये बढ़ाई जा सकती है। सेवाये सन्तोषजनक न होने पर बिना किसी पूर्व नाटिस के संविदा किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।
26. रिक्तिओं की संख्या आवश्यकतानुसार घट बढ़ सकती है तथा किसी भी पद के लिए विज्ञापन में बदलाव व निरस्त करने का अधिकार समिति का होगा।
27. प्रत्येक पद के लिये पृथक–पृथक आवेदन करना होगा। एक ही आवेदन पत्र में एक से अधिक पदो का उल्लेख करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
28. बिना पूर्व सूचना के विज्ञप्ति निरस्त करने का अधिकार जनपदीय चयन समिति का होगा।

(संजय तिवारी)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
उन्नाव।

पृ0सं0:–के0जी0बी0वी0/ नवीन चयन/ 4944 –54 /2023–24 तददिनांक - 31/5/2023
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महानिदेशक,स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक,समग्र शिक्षा,उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदया, उन्नाव।
3. मुख्य विकास अधिकारी,उन्नाव।
4. सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), लखनऊ मण्डल ,लखनऊ।
5. समस्त सदस्य जनपदीय चयन समिति , जनपद उन्नाव।
6. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी जनपद उन्नाव को इस निर्देश के साथ कि उक्त विज्ञप्ति अपने बीआरसी के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराते हुए इसका प्रचार प्रसार कराना सुनिश्चित करें।
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी,एन0आइ0सी0 उन्नाव को इस अनुरोध के साथ कि उक्त विस्तृत विज्ञप्ति एवं आवेदन पत्र का प्रारुप को **बेवसाइट-WWW.unnao.nic.in** पर अपलोड करने का कष्ट करें।
8. दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त संक्षिप्त विज्ञप्ति को अपने सम्मानित समाचार पत्र के स्थानीय संस्करण में न्यूनतम शासकीय दर पर न्यूनतम स्थान में प्रकाशित करते हुए भुगतान हेतु बिल 02 सेट में उपलब्ध कराये।
9. दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला.........को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि संक्षिप्त उक्त विज्ञप्ति को अपने सम्मानित समाचार पत्र के प्रादेशिक संस्करणों में न्यूनतम शासकीय दर पर न्यूनतम स्थान में प्रकाशित करते हुए भुगतान हेतु बिल 02 सेट में उपलब्ध कराये।
10. नोटिस बोर्ड,एस0एस0ए0/बी0एस0ए0 कार्यालय, विकास भवन, डायट, उन्नाव।
11. कार्यालय प्रति।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
उन्नाव।

कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय उन्नाव में सत्र 2023–24 में संविदा आधारित नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र (केवल महिला अभ्यार्थियों हेतु)

फोटो
स्वप्रमाणित

1–विज्ञापन संख्या– ....
2–आवेदित पद का नाम– ....
3–आवेदक का नाम–(हिन्दी में) ....
4–आवेदक का नाम–(अंग्रेजी में) ....
4–लिंग– ....
5–पिता का नाम– ....
6–पति का नाम– ....
7–स्थाई पता–(थाना/पिनकोड सहित)..
....
8–पत्राचार का पता–(थाना/पिनकोड सहित)..
....
9–मोबाइल नं0 1. .... 2. .... ई–मेल आईडी0..
10–जन्म तिथि–(हाई स्कूल अंक पत्र के अनुसार)– अंको में .... शब्दों में ....
11–दिनांक 01.04.2023 को आयु..............वर्ष..................माह ....दिन
12–राष्ट्रीयता– आधार नम्बर– ....
13–आरक्षित श्रेणी (1–अनारक्षित 2–अ0पि0वर्ग 3–अनु0जाति 4–अनु जन0 जाति,5–**EWS**)
आरक्षण श्रेणी लाभ हेतु अद्यतन जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें। उपजाति–..
14–शैक्षिक योग्यता–(आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, अंक पत्र व प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियॉं संलग्न करें)

क0सं0	परीक्षा का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	जू0हा0स्कूल						
2	हाईस्कूल						
3	इण्टरमीडिएट						
4	स्नातक						
5	प्रशिक्षण योग्यता						
6	कम्प्यूटर प्रशिक्षण						
7	टी0ई0टी0/सीटेट (उच्च प्राथमिक स्तर)						
6	अन्य						

15–के0जी0बी0वी0 में कार्य करने का अनुभव यदि कोई हो (छायाप्रति संलग्न करें)
नोट–प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख हो कि वर्तमान में आप प्रदेश के किसी के0जी0बी0वी0 में कार्यरत नहीं है। वर्ष 2020–21 में शासनदेशों के आलोक में आपकी संविदा का नवीनीकरण नहीं किया गया।

क0सं0	के0जी0बी0वी0 का नाम	प्रथम संविदा तिथि	अन्तिम संविदा तिथि	शिक्षक अनुभव		
				वर्ष	माह	दिन
1	2	3	4	5	6	7
1						

घोषणा पत्र

मैं .... पुत्री/पत्नी.. एतदद्वारा घोषणा करती हूँ कि मैंने विज्ञप्ति की पात्रता शर्तो को पूरी सावधानी पूर्वक पढ लिया है। इस आवेदन पत्र में दिया गया सम्पूर्ण विवरण/सूचना सत्य एवं सही है। उक्त विवरण/सूचनाओं में कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है। यदि कोई विवरण/सूचना आदि असत्य/गलत पायी जाये अथवा कोई तथ्य मेरे द्वारा छिपाया हुआ पाया जाये तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाये। यदि नियुक्ति होने के उपरान्त विपरीत तथ्य प्रकाश में आये अथवा मेरा कार्य सन्तोषजनक नहीं पाया जाता तो मेरी सेवायें समाप्त कर दी जाये तथा मेरे प्रति नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाये।

दिनांक........ प्रार्थी के नाम व हस्ताक्षर

स्थान............ पूरापता–